कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (उत्तर)
जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली

विषय : हिन्दी की विविध प्रतियोगिता एवं हिन्दी टिप्पण-आलेखन प्रोत्साहन प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) 2019-2020 के संबंध मे।

श्री संजीव जैन, उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग) से प्राप्त पत्र संख्या 08(02)/2019-2020/क० स० एवं भाषा/ 1693-1704 दिनांक 13/08/2019 के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि सरकारी काम काज में राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ाने, इसका प्रचार प्रसार करने तथा अधिकारियों / कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रूचि पैदा करने के लिए कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रयास किये जाये हैं। इसी क्रम में 14 सितम्बर, 2019 "हिन्दी दिवस" के उपलक्ष में राजभाषा हिन्दी की विविध प्रतियोगिताएं एवं हिन्दी - टिप्पण - आलेखन प्रोत्साहन प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) का आयोजन किया जा रहा है। न्यायालय के अधीन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों / कर्मचारियों से अनुरोध है प्रतियोगिता संबंधी संलग्न की गई नियमावली को ध्यानपूर्वक पढे तथा निर्धारित प्रपत्र में उचित माध्यम से भरकर अपने नाम 3 सितम्बर, 2019 तक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, हिन्दी विभाग, पोर्टा केबिन C, चतुर्थ तल, जिला उत्तर, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली को भेजे।

सचिन
23/08/19
(सचिन गुप्ता)
महानगर दण्डाधिकारी/नोडल अधिकारी
उत्तरी जिला, रोहिणी जिला न्यायालय, दिल्ली

26841–26855
संख्या :हिन्दी(उ.)/रोहिणी/2019 दिल्ली, दिनांक27/08/19

हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं हिन्दी टिप्पण-आलेखन प्रोत्साहन प्रतियोगिता (स्वेच्छा से), 2019-2020 के आयोजन के संबंध मे सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित की जाती है:-

1. केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, उत्तरी जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
3. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभागों के अनुभाग प्रमुख, उत्तरी जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
4. जन संपर्क अधिकारी, उत्तरी जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
5. प्राप्ति एवं निर्गम शाखा, लेयर्स पर अपलोड करने हेतु।
6. अभिलेख अधिकारी, उत्तरी जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
7. निजी सचिव, माननीय जिला एवं सत्रा न्यायाधीश, उत्तरी जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।

सचिन
23/8/19
महानगर दण्डाधिकारी/नोडल अधिकारी (हिन्दी विभाग)
उत्तरी जिला, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

1713
19/8/19

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी–विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(02)/2019–2020/क0सं0 एवं भाषा/1693–1704 दिनांक: 13/8/2019

सेवा में,

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली
2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राउज एवेन्यु जिला, आई.टी.ओ, नई दिल्ली।
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व जिला जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर–पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली जिला, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली।
8. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
9. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर–पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
10. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण जिला, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली।
11. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण–पूर्व जिला, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली।
12. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण–पश्चिम जिला, द्वारका न्यायालय, नई दिल्ली।

विषयः हिन्दी की विविध प्रतियोगिता एवं हिन्दी टिप्पण–आलेखन प्रोत्साहन प्रतियोगिता (स्वेच्छा से), 2019–2020 के आयोजन के संबंध मे।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में देखने का कष्ट करें। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ाने, इसका प्रचार प्रसार करने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रूचि पैदा करने के लिये कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रयास किये जाते हैं । इसी क्रम में 14 सितम्बर, 2019, "हिन्दी दिवस" के उपलक्ष्य में राजभाषा हिन्दी की विविध प्रतियोगिताएं एवं हिन्दी टिप्पण–आलेखन प्रोत्साहन प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) का आयोजन किया जा रहा है। कृपया अपने न्यायालय के अधीन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम भिजवाने का कष्ट करें। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है प्रतियोगिता संबंधी संलग्न की गई नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा निर्धारित प्रपत्र में उचित माध्यम से भरकर अपने नाम यथाशीघ्र इस विभाग को भिजवाएं। उपरोक्त दोनों प्रतियोगिताओं के नियमावली एवं प्रपत्र इसके साथ संलग्न है।

हिन्दी विभाग

भवदीय

(संजय जैन) 13/8/19
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

जे० वि०पाठक
जे० वि० न्यायाधीश (उत्तर)
संलग्नः प्रपत्र एवं नियमावली
19/8/19

प्रसारित किया जाए
सचिव 23/8/19
नोडल अधिकारी (उत्तर), रोहिणी, दिल्ली कोर्ट्स

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी–विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय,नई दिल्ली ।

ा.सं. 08(03)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/ 475– 575 दिनांकः 19/6/19

वा में,

समस्त विभागाध्यक्ष
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली ।

विषयः **हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता–2019 (स्वेच्छा से) कार्य करने की मूल्यांकन अवधि 01.07.2018 से 31.12.2018 तक ।**

हादय/महोदया,

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाने, इसका प्रचार–प्रसार करने तथा कार्यालय कार्य हिन्दी में करने के प्रति रूचि पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) का आयोजन किया जा रहा है । इस योजना के अधीन हिन्दी में सबसे अधिक कार्य करने वाले विभाग को विभागीय पुरस्कार के रूप में एक राजभाषा शील्ड, 20 राजपत्रित अधिकारियों तथा 33 अराजपत्रित कर्मचारियों को नकद पुरस्कार राशि, पदक व प्रशस्ति पत्र दिये जायेंगे । इस प्रतियोगिता के लिये अधिकारी वर्ग के लिये 20 पुरस्कारों में से 5 पुरस्कार अहिन्दी भाषी अधिकारियों को दिये जाने का प्रस्ताव है। यदि अहिन्दी भाषी अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर ये पुरस्कार हिन्दी भाषी अधिकारियों को दिये जायेंगे। इस प्रतियोगिता के लिये हिन्दी में कार्य करने की मूल्यांकन **अवधि 01.07.2018 से 31.12.2018** तक निर्धारित की गई है। **प्रतियोगिता की नियमावली एवं फार्म इसके साथ संलग्न है।**

समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि इस प्रतियोगिता में केवल उन्ही अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम भेजें जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के हिन्दी में किये गये कार्यो से वे स्वयं संतुष्ट हों। **इस परिपत्र के साथ संलग्न फार्म भी कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित होना चाहिये।**

कृपया अपने विभाग/कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को इस प्रतियोगिता के बारे में अवगत कराने का कष्ट करें और हिन्दी में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम मूल्यांकन की अवधि को ध्यान में रखते हुये निर्धारित प्रपत्र में **दिनांक 25 अक्टूबर, 2019** तक इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें। **निरीक्षण के उपरान्त परिणाम संबंधी सूचना नीचे दी गई विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।**

कृपया इसे प्राथमिकता दें ।

टीपः संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट **www.artandculture.delhigovt.nic.in** पर देखी जा सकती है।

भवदीय,

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

जारी–/2.....

हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) की नियमा
(वर्ष 2019–2020)

1. इस प्रतियोगिता का नाम हिन्दी टिप्पण व प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वे होगा।

2. इस प्रतियोगिता का उद्देश्य दिल्ली सरकार के विभागों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साह तथा अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में सरकारी कामकाज के प्रति रूचि पैदा करना है

3. इस प्रतियोगिता में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग, दिल्ली नगर निगम (पूर्वी, दक्षिणी, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली ट्रांसको लि0, हिन्दी आशु हिन्दी अकादमी, दिल्ली पुलिस तथा किसी अन्य विभाग के राजभाषा विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर दिल्ली सरकार के समस्त विभागों/ निकायों/निगम के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं ।

4. **इस प्रतियोगिता के मूल्यांकन की अवधि 01.07.2018 से 31.12.2018 (01 जुलाई, 2(31 दिसम्बर, 2018) तक होगी ।**

5. उपर्युक्त अवधि में हिन्दी में लिखी टीपों/प्रारूपों की जांच की जायेगी ।

6. टीप के बीच में आए पारिभाषिक अंग्रेजी शब्दों पर कोई आपत्ति नहीं होगी । हिन्दी लिखते समय किसी अंग्रेजी शब्द को देवनागरी/रोमन में लिखने पर टीप हिन्दी में ह जायेगी । व्याकरण/वर्तनी (स्पेलिंग) की छोटी–मोटी भूलों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा ।

7. टीप में "देखा", "धन्यवाद", "कृपया चर्चा करें", "फाईल करें" इत्यादि शब्दों को भी एक लाईन माना जायेगा।

8. हिन्दी में सबसे अधिक कार्य करने वाले विभाग को विभागीय पुरस्कार के रूप में एक रा शील्ड भी दी जायेगी।

9. इस प्रतियोगिता से संबंधित प्रोफार्मा भरकर दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 तक भिजवाना आ है।

10. प्रतियोगिता में दो वर्ग होंगें (1) अधिकारी वर्ग, इस वर्ग में अधीक्षक, समकक्ष एवं उच्च अं तथा (2) कर्मचारी वर्ग में लिपिक से लेकर सहायक के पद तक तथा अपने विभाग में डिस्पैच, अन्य सरकारी कार्य या उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपा गया विभागीय कार्य हि करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित होंगे।

11. दोनों वर्गो में पुरस्कार राशि निम्न प्रकार से होगी:–

	पुरस्कारों की संख्या	वर्तमान राशि
(1) अधिकारी वर्ग	20 पुरस्कार	4000/–रूपये (प्रत्येक)
(2) कर्मचारी वर्ग	प्रथम पुरस्कार	4000/–रूपये (एक)
	द्वितीय पुरस्कार	3000/–रूपये (एक)
	तृतीय पुरस्कार	2000/–रूपये (एक)
	प्रोत्साहन पुरस्कार	800/–रूपये (तीस)(प्रत्येक)

12. इस प्रतियोगिता में 4600/–रुपये या उससे अधिक ग्रेड पे में कार्यरत समस्त (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग सहित) कर्मचारी, अधिकारी वर्ग में सम्मिलित होंगे।

13. अधिकारी वर्ग में 5 पुरस्कार अहिन्दी भाषी अधिकारियों को दिये जाने का प्रस्ताव है यदि अहिन्दी भाषी अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर ये पुरस्कार हिन्दी भाषी अधिकारियों को दिये जायेंगे ।

14. निर्धारित प्रपत्र में अहिन्दी भाषी (अधिकारी/कर्मचारी) लिखाना अनिवार्य है।

15. इस प्रतियोगिता में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग तथा हिन्दी अकादमी के कर्मचारी एवं किसी अन्य स्वायत्त निकाय/स्थानीय निकाय/संस्थान के **राजभाषा विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी** भाग नहीं लेंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के प्रधानाचार्य/उप–प्रधानाचार्य एवं अध्यापक भी भाग नहीं ले सकेंगे।

16. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) को प्रतियोगिता के नियमों में तथा पुरस्कारों की राशि में फेरबदल करने का पूरा अधिकार होगा। इस संबंध में किसी शिकायत पर सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) का निर्णय सर्वमान्य होगा ।

17. इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रोफार्मा में केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा जिनकी संस्तुति संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की गई होगी।

18. नियमों की व्याख्या अथवा अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिये कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग में टेलीफोन संख्या 23392307 पर संपर्क किया जा सकता है।

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष संख्याः 011–23392001–06
इन्टरकॉम नम्बरः 3715

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी–विंग, सातवां तल,आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

दिनांक:

फा.सं. 08(02)/2019–20–क0सं0 एवं भाषा/ 1163 – 1263

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा
समस्त विभागाध्यक्ष, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।

विषय: विविध हिन्दी प्रतियोगिताएं 2019–2020 के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ाने, इसका प्रचार प्रसार कर अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रूचि पैदा करने के लिये भाषा विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रयास कि हैं । इसी क्रम में दिनांक 16.09.2019, 17.09.2019 एवं 18.09.2019 को हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रतिभा विकास विद्यालय, नं.–1, लुडलो कैसल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली–54 में दोपहर 3.30बजे से किया जाना है जिसक निम्न प्रकार से है :–

दिनांक	प्रतियोगिता का नाम	उपस्थित होने का समय	स्थान
16.09.2019	हिन्दी निबंध प्रतियोगिता वर्ग "क" "ख", "ग" तथा "घ"	3.00बजे	राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, नं.1, लुड राजनिवास मार्ग, दिल्ली–54
17.09.2019	हिन्दी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता वर्ग "क" "ख", "ग" तथा "घ"	–वही–	–वही–
18.09.2019	हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता वर्ग "क", "ख" तथा "ग"	–वही–	–वही–
19.09.2019	हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता	सुबह 11.00 बजे से प्रारंभ	कम्प्यूटर कक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नौवां दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–02 (कम्प्यूटर व वाले)
20.09.2019	हिन्दी टाइप (मौखिक) एवं हिन्दी टाइप (लिखित)	सुबह 11.00 बजे से प्रारंभ	–वही–

उपरोक्त हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) दोनों परीक्षाएं दिनांक 19.09.2019 एवं 20. कम्प्यूटर कक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नौवां तल, बी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–02 (कम्प्यूटर पर परीक्ष स्थित कार्यालय में होगी। कृपया अपने विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को इन प्रतियोगिताओं के आयोजन के बा कराने का कष्ट करें और प्रतियोगिता में शामिल होने के लिये इच्छुक प्रतियोगियों को सीधे परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने प्रदान करते हुए उनके नाम निर्धारित प्रपत्र में उचित माध्यम द्वारा भरकर दिनांक 07.09.2018 तक इस विभाग में भिजव करें ।

विशेष टिप्पणी :–

आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं की नियमावली एवं प्रपत्र इसके साथ संलग्न है। प्रतियोगिताओं के इच्छुक प्रतियोगियों से अनुरोध है कि वे अपना नाम भिजवाने से पूर्व संलग्न की गई नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़

इस बार भी कम्प्यूटर पर हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) परीक्षा ली जायेगी। कम्प्य देने वाले प्रतियोगी उपरोक्त पते पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में पूर्वाह्न 10.30बजे तक परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे। प सूचना नीचे दी गई विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

टीप: संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट www.artandculture.delhigovt.nic.in+Centralized Cir देखी जा सकती है।

उप–सचिव (कला, स

विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं की नियमावली (वर्ष 2019–2020)

1. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ समस्त स्वायत्त निकाय अर्थात् दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, समस्त जिला एवं सत्र न्यायालय और दिल्ली जल बोर्ड इत्यादि के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं ।

2. ये प्रतियोगिताएं निःशुल्क हैं ।

3. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना नाम **कार्यालयाध्यक्ष, कला,संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, बी–विंग, छठा तल, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 इस्टेट, नई दिल्ली** के पास उचित माध्यम से भेजने होंगे ।

आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं का विवरण निम्न प्रकार से है :–

4. **हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता में हिन्दी में 5 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी तथा डिक्टेशन पूर्ण होने के पश्चात् प्रतियोगी को उत्तर पुस्तिका पर डिक्टेशन का हिन्दी रूपान्तरण अनिवार्य रूप से 40 मिनट टाइप करके प्रस्तुत करना होगा। हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता 100 शब्द प्रति मिनट की गति से ली जायेगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा ।**

5. हिन्दी टाइप (मौखिक) प्रतियोगिता 5 मिनट की होगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा तथा लिखित प्रश्न–पत्र नहीं दिया जाएगा।

6. हिन्दी टाइप (लिखित) प्रतियोगिता 5 मिनट की होगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा तथा लिखित प्रश्न–पत्र दिया जाएगा।

7. कम्प्यूटर पर हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) परीक्षा दिनांक **19.09.2019** एवं **20.09.2019** को **कम्प्यूटर कक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नौवां तल, बी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–02 में होगी।**

9. **हिन्दी निबंध प्रतियोगिता में प्रतियोगी को दिए गए विषयों में से किसी एक पर कम से कम 500 शब्दों का निबंध लिखना होगा जो 100 अंकों का होगा और समयावधि 45 मिनट होगी। अहिन्दी भाषी प्रतियोगियों के निबंध के शब्दों की संख्या कम से कम 350शब्द होनी चाहिए। निबंध का मूल्यांकन भाषा शैली, विषयपरकता, अभिव्यक्ति आदि मानकों के आधार पर किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे :–**

(i) वर्ग "क" में 4600/–रुपये या उससे अधिक ग्रेड पे में कार्यरत समस्त (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग सहित) अधिकारी/कर्मचारी शामिल होंगे।

(ii) वर्ग "ख" चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर सामान्य वर्ग के अन्य समस्त कर्मचारी।

(iii) वर्ग "ग" चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य वर्ग के समस्त कर्मचारी।

(iv) वर्ग "घ" समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित हैं।

10. **हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण प्रतियोगिता का समय एक घंटे का होगा और इसके पूर्णांक 10(इस प्रतियोगिता में कार्यालय के रोजमर्रा के विषयों से संबंधित हिन्दी में टिप्प पत्र/परिपत्र/आदेश/ज्ञापन के प्रारूप लिखने होंगे । मूल्यांकन भाषा–शैली, विषय नियमों के अनुसार प्रस्तुतिकरण के आधार पर किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे**

(i) वर्ग "क" में 4600/–रुपये या उससे अधिक ग्रेड पे में कार्यरत समस्त (अनु जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग सहित) अधिकारी/कर्मचारी शामिल होंगे।

(ii) वर्ग "ख" चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर सामान्य वर्ग के अन्य समस्त कर्मचारी।

(iii) वर्ग "ग" चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य वर्ग के समस्त कर्मचारी।

(iv) वर्ग "घ" समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित है।

11. **हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता का समय 5 मिनट होगा । इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे :–**

(i) वर्ग "क" में 4600/–रुपये या उससे अधिक ग्रेड पे में कार्यरत समस्त (अनुसू जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग सहित) अधिकारी/कर्मचारी शामिल होंगे।

(ii) वर्ग "ख":– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के समस्त कर्मचारी।

(iii) वर्ग "ग":– समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े एवं सामान्य वर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित है।

12. **प्रत्येक प्रतियोगिता के लिये नकद पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है :–**

प्रथम पुरस्कार	(एक)	4000/–रूपये
द्वितीय पुरस्कार	(एक)	3000/–रूपये
तृतीय पुरस्कार	(एक)	2000/–रूपये
प्रोत्साहन पुरस्कार	(पांच)	800/–रूपये

13. कोई भी अधिकारी/कर्मचारी सभी प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हो सकता है लेकिन उ पुरस्कार केवल किसी एक प्रतियोगिता में ही दिया जायेगा, जिसमें उसकी मेरिट बेह होगी। यदि दो अधिकारी/कर्मचारियों ने समान अंक प्राप्त किये हैं तो रोल नम्बर के अनुस पुरस्कार दिया जायेगा।

14. सचिव (भाषा), दिल्ली सरकार को इन प्रतियोगिताओं की नियमावली के किसी उपबंध, पुरस्कारों की राशि, संख्या, और परीक्षा के स्थान, तिथि व समय आदि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार होगा ।

15. इन प्रतियोगिताओं से संबंधित किसी भी विवाद, शिकायत या इसके उपबंधों के निर्वहन आदि के बारे में, सचिव (भाषा), दिल्ली सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

16. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग तथा हिन्दी अकादमी के कर्मचारी एवं किसी अन्य संस्थान के **राजभाषा विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी** भाग नहीं लेंगे। शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् एवं अन्य किसी स्कूल के अध्यापकगण इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे।

17. प्रत्येक प्रतियोगिता के किसी एक वर्ग में इस वर्ष प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रतियोगी अगले एक वर्ष तक उस प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। जो प्रतियोगी इस वर्ष की प्रतियोगिता में द्वितीय या तृतीय पुरस्कार प्राप्त करते हैं, वे अगले वर्ष की प्रतियोगिता में केवल उससे ऊपर के पुरस्कार अर्थात् प्रथम या द्वितीय पुरस्कार के लिए ही पात्र होंगे। जो प्रतियोगी प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करते हैं वे एक वर्ग में लगातार केवल दो वर्ष तक ही प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र होंगे।

18. प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर प्रतियोगी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा इसके अतिरिक्त उसे अगले तीन वर्षों के लिए प्रतियोगिता से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसी अनियमितता की सूचना उसके विभाग को उचित कार्यवाही हेतु भेज दी जायेगी।

19. प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए कम से कम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
(कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग)

हिन्दी निबंध, हिन्दी टिप्पण–आलेखन, हिन्दी सुलेख, हिन्दी आशुलिपि
हिन्दी टाइप (लिखित/मौखिक) प्रतियोगिता 2019–2020 में शामिल ह
लिए निर्धारित प्रपत्रः–
(प्रपत्र के सभी कॉलम भरने अनिवार्य हैं)

1.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	:
2.	पिता/पति/माता का नाम	:
3.	पदनाम (ग्रेड पे अवश्य लिखें)	:
4.	शैक्षिक योग्यता	:
5.	क्या आप अनु.जा./जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य वर्ग से संबंधित है	:
6.	विभाग का नाम व पूरा पता दूरभाष संख्या सहित।	:
7.	ई–मेल आईडी (अवश्य लिखें)	:
8.	कर्मचारी के हस्ताक्षर	:

अग्रसारित करने वाले अधि
के हस्ताक्षर एवं

नोटः कृपया प्रपत्र भरने से पूर्व संलग्न नियमावली अवश्य पढ़ें।